भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1576
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तराखंड में पीएमएवाई-यू की स्थिति

1576. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और

निगरानी समिति (सीएसएमसी) की स्वीकृति के लिए स्वीकार्य केंद्रीय सहायता हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तराखंड राज्य से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 03.02.2025 तक, पीएमएवाई-यू के तहत राज्य के लिए कुल 64,391 आवासों को स्वीकृति दी गई है। इसमें से 62,704 आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिनमें से 39,082 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/ लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। आवासों/ परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है और आमतौर पर योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के लिए पूर्णता समय सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्ष के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना में सुधार किया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 “सभी के लिए आवास” मिशन शुरू किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास का निर्माण, खरीद और किराए पर लिया सके। इस योजना के दिशानिर्देश और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब-पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****